न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 179 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
जेठाराम पुत्र करतुराराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी जसोतोणियों की ढाणी, भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर	1. विरधाराम पुत्र प्रभूराम उम्र 56 वर्ष जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 54 / 2022 बअनवान जेठाराम बनाम विरधाराम आदेश दिनांक 25.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.07.2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जसोताणियों की ढाणी, पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 270 / 147 रकबा 13.6460 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम की स्थित है। कि प्रार्थी / अपीलांट ने अपनी वादग्रस्त आराजी करीब 40 वर्ष पूर्व खरीद की थी एवं बाद खरीद उक्त भूमि पर अपना पक्का मकान बनाकर रहवास स्थापित कर दिया था। कि प्रार्थी / अपीलांट के पास दक्षिणी पश्चिमी सेढे की तरफ उतरदाता के खातेदारी खेत आया हुआ है। प्रार्थी / अपीलांट के खेत के चारों तरफ पुराना सेढा व माठ बनी हुई है जिसमें प्रार्थी / अपीलांट की पक्की रहवासी ढाणी / मकान, पशु बाड़े, पानी के टांके आदि बने हुए है। उतरदाता अपीलांट की भूमि के पश्चिम दक्षिणी दिशा में सेढे पर अवैध अतिक्रमण कर भूमि को हडप करने के दुराश्य से ग्रसित होकर अपीलांट की भूमि पर अपने कब्जे काश्त आमादा होते हुए लाठी के बल पर अतिचार करने को आमादा हुए जिस पर अपीलांट ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि मौजा जसोताणियों की ढाणी, पटवार हल्का भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 270/147 रकबा 13.6460 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम की स्थित है। कि प्रार्थी/अपीलांट ने अपनी वादग्रस्त आराजी करीब 40 वर्ष पूर्व खरीद की थी एवं बाद खरीद उक्त भूमि पर अपना पक्का मकान बनाकर रहवास स्थापित कर दिया था। कि प्रार्थी/अपीलांट के पास दक्षिणी पश्चिमी सेढे की तरफ उतरदाता के खातेदारी खेत आया हुआ है। प्रार्थी/अपीलांट के खेत के चारों तरफ पुराना सेढा व माठ बनी हुई है जिसमें प्रार्थी/अपीलांट की पक्की रहवासी ढाणी/मकान, पशु वाड़े, पानी के टांके आदि बने हुए है। उतरदाता अपीलांट की भूमि के पश्चिम दक्षिणी दिशा में सेढे पर अवैध अतिक्रमण कर भूमि को हडप करने के दुराश्य से ग्रसित होकर अपीलांट की भूमि पर अपने कब्जे काश्त आमादा होते हुए लाठी के बल पर अतिचार करने को आमादा हुए जिस पर अपीलांट ने अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है है जिसें अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खतेदार है। अपीलांटस ने हस्तगत आवेदन पत्र में तथ्यों को तौड़ मरोड़ कर पेश किया है तथा अप्रार्थी ने अन्य काश्तकारों से आज से 20 वर्ष पूर्व खसरा संख्या 248/148, 251/150 कुल रकबा 66.17 बीघा खरीद की थी जिसने सक्षम न्यायालय से दिनांक 15.07.2015 को प्रार्थी जेठाराम के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसकी पेशी दिनांक 17.12.2022 निर्धारित है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर दिनांक 11.11.2022 को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खेत में कब्जा किया जिसकी शिकायत दिनांक 11.11.2022 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर को तथा अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 14.11.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को अवैध रूप से कब्जा करने की रिपोर्ट दी। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के मूल खातेदार है। अपीलांटगण द्वारा किया गया दावा अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उभयपक्ष के मध्य अपीलाधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है जो मूल दावे में साक्ष्य सबूतों से तय होना हैं। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने कई निर्णयों में अवधारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 54/2022 बअनवान जेठाराम बनाम विरधाराम आदेश दिनांक 25.11.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर